



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 15, 1991/फाल्गुन 24, 1912
No. 167] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 15, 1991/PHALGUNA 24, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

संविभंडल सचिवालय

भधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1991

का.आ. 187 (अ) :- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आबंटन) (दो सी सोलहवां संशोधन) नियम, 1991 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में,—

(क) “इस्पात और खान मंत्रालय” शीर्षक के नीचे, “क. इस्पात विभाग” उपशीर्षक के नीचे प्रविष्टि 6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“6. इस्पात उद्योग में प्रयुक्त लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, चूना-पत्थर, सिलिमेनाइट, कायनाइट और अन्य खनिजों और मिश्रितों धातुओं जिनके अन्तर्गत मेग्नेसाइट और उच्चतापसह्य द्रव्य हैं किन्तु जिनके अन्तर्गत खनन पट्टे या उससे संबंधित पदार्थ नहीं हैं, का उत्पादन, प्रवाह, मूल्यांकन और वितरण” ।

(ख) “कल्याण मंत्रालय” शीर्षक के नीचे, “क. कल्याण विभाग” उपशीर्षक के नीचे, “प्रविष्टि 8” के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“8. क मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों का पुनर्वासन ।

(राम, स्वामी बेंकटरामन)

राष्ट्रपति

[सं. 74/2/3/91-मंत्रि.]

दीपक दास गुप्ता, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 1991

S.O. 187 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further **to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961**, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and sixteenth Amendment) Rules, 1991.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule,—

(a) under the heading “MINISTRY OF STEEL AND MINES (ISPAT AUR KHAN MANTRALAYA)”, under the sub-heading “A. DEPARTMENT OF STEEL (ISPAT VIBHAG)”, for entry 6, the following entry shall be substituted namely :—

“6. Production, supply, pricing and distribution of iron ore, manganese ore, limestones, sillimanite, kyanite and other minerals and alloys used in steel industry including magnesite & refractories but excluding mining leases or matters connected therewith”.

- (b) under the heading "MINISTRY OF WELFARE (KALYAN MAN-TRALAYA)", under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF WELFARE (KALYAN VIBHAG)", after entry 8, the following entry shall be inserted, namely :—

"8 A. Rehabilitation of mentally ill."

(R. VENKATARAMAN)
PRESIDENT.

[No. 74|2|3|91-Cab.]
D. DAS GUPTA, Jt Secy.

